बंधुआ मजदूरी

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

बंधुआ मजदूरी

हमारे देश के विभिन्न भागों में अभी भी ऐसी पद्वति विद्यमान है जिसके अन्तर्गत कर्जदार को या उसके वंशजों को ऋण चुकाने के लिए उचित मजदूरी या मजदूरी के बिना ऋणदाता के लिए कार्य करना पड़ता है। इस पद्वति का उदय समाज के असमान ढाँचे से उस समय हुआ जब यहाँ सामन्तवादी और अर्धसामन्तवादी परिस्थितियाँ विद्यमान थी। यह प्रथागत बाध्यताओं, जबरन मजदूरी, बेगार या ऋणग्रस्तता जो लम्बे समय से चली आ रही हों जैसी ऋणग्रस्तता की कुछ श्रेणियों का परिणाम हैं जिसमें समाज के कुछ आर्थिक रूप से शोषित, लाचार और कमजोर वर्ग शामिल हैं। वे ऋणदाता को ऋण के बदले अपनी सेवाएँ देने को सहमत होते हैं। कई बार एक छोटी सी राशि जिसे उनके पूर्वजों द्वारा अक्सर ऊँची ब्याज दरों पर लिया गया था, को अदा करने के लिए कई पीढ़ियाँ दासता में गुजरती हैं। यह पद्वति बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन और श्रम की गरिमा का अपमान है।

बंधुआ मजदूरी के कारण

मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के ग्रामीण लोगों में प्रायः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं। बंधुआ मजदूरी की समस्या सीमित अवसरों, भूमिहीनता, अनियमित और कम मजदूरी, कृषि योग्य भूमि की खराब स्थितियों, निहित रूप से दोषपूर्ण नीतियों और भूमि सुधारों, जाति आधारित भेदभाव/सामाजिक बहिष्कार, निरक्षरता, शोषणात्मक कृषि हिस्सेदारी पद्धति, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास और ऐतिहासिक विरासत की व्यापक सामाजिक/आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हुई है।

बंधुआ मजदूरी के मुख्य कारक ये हैं : परिवार में संकट या निधन, प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना, अचानक रोजगार का छिन जाना, साहूकार द्वारा धोखा और कर्ज की कूट योजना, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों पर असहनीय खर्चे, शराब पीना, प्रवास और अवैध व्यापार।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में बंधुआ मजदूरी को अनदेखा करने या इसकी मौजूदगी से इंकार करने को कोशिश करती हैं। बंधुआ मजदूरी की शिकायतों के प्रति प्राधिकारियों को अनुक्रियाशील नहीं पाया गया। यह देखा गया था कि प्राधिकारी ऐसी शिकायतों पर तत्परता के साथ कार्य करने और बंधुआ मजदूरों की पहचान और उनकी मुक्ति करने की बजाय वे

बंधुआ मजदूरों का जल्दी से हिसाब करवा कर उनको इधर-उधर करने और गायब करने में बंधुआ मजदूरों को रखने वालों की सहायता करते हैं।

अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिनमें बंधुआ मजदूरी प्रचलित है

- ❖ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के राज्यों में कृषि क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी की अत्यधिक घटनाओं का पाया जाना एक प्रमाणित तथ्य है।

- ❖ कृषेत्तर क्षेत्र में यह पद्धति ईंट-भट्टों, पत्थर खुदाई, बीड़ी का निर्माण, कालीन बुनाई, माचिस और पटाखे उद्योग, कुम्हारी, निर्माण परियोजनाओं और रेशम संसाधन उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरी पाई जाती है।

- ❖ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ प्रवासी बंधुआ मजदूर हैं वंचन और शोषण का बिगड़ा रूप पाया जाता है। घरेलू नौकरों, जोगिनों और देवदासियों का बंधुआ मजदूरों के रूप में शोषण किया जाता है।

बंधुआ मजदूरी पद्धति क्या है ?

बंधुआ मजदूरी पद्धति का अर्थ है कि जबरन या आशिंक रूप से जबरन मजदूरी की पद्धति जिसमें ऋणी ऋणदाता से यह सहमति करता है या माना जाता है कि उसने यह सहमति व्यक्त की है कि -

- ➢ उसके या उसके परिवार में पूर्वजों या वंशजों (चाहे दी गई अग्रिम राशि का प्रमाण दस्तावेजों द्वारा दिया जा सकता है या नहीं) द्वारा पेशगी के रूप में ली गई राशि और इस पेशगी पर ब्याज को ध्यान में रखते हुए ....

- ➢ ''वह अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा ऋणदाता या ऋणदाता के हितलाभ हेतु एक निर्दिष्ट अवधि या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए मजदूरी के बिना या नाममात्र मजदूरी या मजदूरी या सेवाएँ प्रदान करेगा या''

- एक निर्दिष्ट अवधि या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोजगार की स्वतंत्रता या रोजी-रोटी के अन्य साधनों को खो देगा या

- भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने के अधिकार को खो देगा।

- अपनी सम्पत्ति या अपने श्रम से तैयार किया उत्पादन या अपने परिवार के किसी सदस्य या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति की मजदूरी को बाजार मूल्य पर बेचने या खरीदने का अधिकार खो देगा।

बंधुआ मजदूरी पर उच्चतम न्यायालय के ऐलान/निर्णय

बंधुआ मजदूरी के मामले को उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में उठाया गया। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिए :

बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि जब कभी यह दर्शाया जाता है कि मजदूर को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। न्यायालय खण्डनीय धारणा बनाएगी कि उसे उसके द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम या अन्य आर्थिक कारणों को ध्यान में रखकर ऐसा करने की जरूरत होती है इसलिए वह बंधुआ मजदूर है (बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत का संघ और अन्य 1984 (2) एस सी आर)।

बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाना चाहिए और उन्हें मुक्त कराने पर उचित ढंग से उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। राज्य की ओर से बंधुआ मजदूरी पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की चूक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन होगा। (नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984 (3) एस.सी.सी.243)

पी यू सी एल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बंधुआ मजदूरों की पहचान करने हेतु अक्तूबर-दिसम्बर, 1996 के दौरान सभी राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण किए गए। केवल सात राज्य सरकारें अर्थात अरूणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में दायर किए शपथ पत्र के माध्यम से 28, 335 बंधुआ मजदूरों की पहचान की रिपोर्ट दी।

सांविधानिक और विधिक सुरक्षा उपाय

सांविधानिक उपबंध

भारत के संविधान में सभी नागरिकों को न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; हैसियत और अवसर की समानता तथा भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता की गारंटी दी गई है।

अनुच्छेद 23

मानवों और बलात् श्रम के अवैध व्यापार का निषेध

(1) मानवों और बेगारों तथा बलात् श्रम के अन्य समान रूपों के अवैध व्यापार का निषेध किया जाता है। इस उपबंध के उल्लंघन को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा।

(2) इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से रोके और ऐसी सेवा को लागू करने के लिए राज्य धर्म, प्रजाति, जाति या अन्य किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 39

राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धान्त

अनुच्छेद 39 (क) में यह उपबंध दिया गया है कि नागरिकों, पुरूषों और महिलाओं को समान रूप से रोज़ी-रोटी के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, अनुच्छेद 39 (घ) में उपबंध दिया गया है कि पुरूष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो और अनुच्छेद 39 (च) में यह उपबंध दिया गया है कि कामगारों, पुरूषों और महिलाओं तथा किशोर बच्चों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े और नागरिक आर्थिक जरूरतों के कारण, उन व्यवसायों में न जाएं जो उनकी आयु और सामर्थ्य के अनुकूल न हों।

अनुच्छेद 42

काम की न्यायोचित एवं मानवीय दशाओं और प्रसूति राहत के प्रावधान

राज्य कार्य की न्यायोचित तथा मानवीय दशाएं और प्रसूति राहत उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 43

कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि

राज्य उचित विधानों या आर्थिक संगठनों द्वारा, कृषि और उद्योग से जुड़े या अन्य सभी कामगारों के लिए कार्य और निर्वाह मजदूरी, काम की दशाओं को सुरक्षित करेगा जिससे उचित जीवन-स्तर और खाली समय तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके और राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग के संवर्धन की कोशिश करेगा।

धारा 374 (भारतीय दण्ड संहिता)

विधि विरूद्ध अनिवार्य श्रम

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इच्छा की विरूद्ध गैर कानूनी रूप से उसको मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है तो उसे एक वर्ष की अवधि के लिए जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

बंधुआ मजदूरी पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की मुख्य विशेषताएं

इस अधिनियम के अनुसार उस किसी भी प्रथा, समझौतों या प्रपत्रों को शून्य करार दिया गया है जिनके अनुसार किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के रूप में सेवा करना आवश्यक हो। बंधुआ ऋण के भुगतान के दायित्व को इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से समाप्त माना जाता है और बंधुआ मजदूर की सम्पति को बंधक रहित किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार सिविल कैदियों को मुक्त किया गया।

इस कानून में यह उपबंध है कि (क) किसी प्रकार के बंधुआ-ऋण की वसूली के लिए किसी भी दीवानी कचहरी में कोई भी मुकदमा या अन्य

कार्यवाही नहीं की जाएगी (ख) इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी भी बंधुआ-ऋण की वसूली हेतु की गई कुर्की रद्द मानी जाएगी (ग) ऐसी चल सम्पति बंधुआ मजदूर को वापस कर दी जाएगी।

बंधुआ मजदूर से संबंधित मामले की विशेष संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है चूंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक जिलाधिकारी की शक्तियाँ जिलाधिकारी में निहित हैं।

सांविधिनिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु जिला और उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेटों को कुछ कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस अधिनियम में इस कानून के उपबंधों को जिला और उपप्रभागीय स्तर पर लागू करने हेतु सतर्कता समितियों को गठन करने का भी प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत –

- ✓ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई हैं।
- ✓ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जिला और उपप्रभागीय स्तर पर गठित सतर्कता समितियों को बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- ✓ सतर्कता समितियों के कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।
- ✓ प्रत्येक जिले और उप-प्रभाग में क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियों के गठन की जरूरत होती है।

इस अधिनियम में किसी प्रकार के बंधुआ-ऋण देने वाले को तीन साल तक की जेल और रू० 2,000/- का जुर्माना करने का उपबंध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण भी किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय है।

व्यावहारिक वास्तविकताएँ

- ○ अनेक राज्य यह मानते है कि उनके राज्यों में कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं है।

- बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन करना केवल एक बार होने वाली घटना नहीं है। यह, किसी भी समय किसी भी उद्योग/व्यवसाय/प्रक्रिया में फिर से हो सकता है।

- बंधुआ मजदूरी मुख्य रूप से कृषि में पाई जाती है परंतु यह कई अन्य उद्योगों/व्यवसायों में भी विद्यमान है।

- अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार भी बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में आ सकते हैं।

- बंधुआ बाल मजदूरों की समस्याएँ उतनी ही जटिल हैं जितनी महिला बंधुआ मजदूरों और प्रवासी बंधुआ मजदूरों की।

- भूमि, रोजगार सृजन और ऋण सुविधा के विस्तार से संबंधित मुद्दों पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाता।

- जब तक पुनर्वास प्रक्रिया को तत्परता के साथ पूरा नहीं किया जाता, तब तक बंधुआ मजदूरों के फिर से बंधुआ मजदूर बनने की संभावना बनी रहेगी।

बंधुआ मजदूरों की पहचान हेतु जाँच-सूची

बंधुआ मजदूरों की पहचान करने हेतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें नियोक्ता से करना जरूरी है। ये प्रश्न हैं -

- क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है?

- क्या रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जा रहा है?

- क्या नियोक्ता संविदा श्रम अधिनियम या किसी अन्य कानून जिसकी जरूरत है, के अन्तर्गत पंजीकृत है।

बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने और उन्हें फिर से बंधुआ बनने से रोकने हेतु सुरक्षोपाय

- बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास सतत् रूप से होना चाहिए।

- पहचान करने और मुक्त कराने के बीच अन्तराल नहीं होना चाहिए और उसी प्रकार मुक्त कराने और पुनर्वास शुरू करने के उपायों मे भी अन्तराल नहीं आना चाहिए।

- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनको मुक्त कराने के साथ ही नियोक्ताओं पर अभियोजन चलाया जाए।

- बंधुआ मजदूरों की पहचान करने में पंचायती राज संस्थाओं को शमिल किया जाना चाहिए।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु योजना

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के प्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के कार्यों में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास, हेतु मई, 1978 में श्रम मंत्रालय ने 50-50 आधार पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की। इस योजना में समय-समय पर गुणात्मक सुधार किए गए हैं और इसे उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है। चूंकि मई, 2000 से पुनर्वास सहायता को बढ़ा कर प्रति बंधुआ मजदूर रू० 20,000/- कर दिया गया हैं और सात पूर्वी राज्यों के मामलों के लिए सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है, (यदि वे अपना अंश मुहैया कराने में असमर्थतता व्यक्त करते हैं) आशोधित योजना के अनुसार बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करने, जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों और प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वर्ण जंयती ग्राम स्वराज रोजगार योजना (एस.जे.जी.एस. आर.वाई.), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, जनजाति उप-योजना आदि जैसी चल रही अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय रूप से आयोजि योजना के साथ एकीकृत/समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है

ताकि बंधुआ मजदूरों के सार्थक पुनर्वास के लिए संसाधनों को एकत्रित किया जा सके।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु योजना के घटक

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना (मई 2000 में आशोधित) के निम्नलिखित घटक हैं :

- प्रत्येक राज्य को उन संवेदनशील जिलों की पहचान करने जहाँ बंधुआ मजदूरी की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, उनके पनपने का कारण और इसके उपचारात्मक उपायों को सुझाने की जरूरत है।
- बंधुआ मजदूरी की घटनाओं, कारण और बंधुआ मजदूरी के प्रकार आदि को जानने के लिए नियमित आधार पर सर्वेक्षण करना।
- भारत सरकार ऐसे सर्वेक्षण कराने के लिए प्रत्येक संवेदनशील जिले के लिए 2 लाख रूपए की राशि उपलब्ध कराती है। यह राशि विशेष जिले को तीन साल में एक बार दी जाती है।
- जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य सरकार को दस लाख रूपेय का वार्षिक अनुदान दिया जाता है।
- प्रत्येक राज्य सरकार को हर वर्ष राज्य के 5 जिलों/क्षेत्रों में विख्यात अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मूल्यांकन अध्यनन कराने की जरूरत है।
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास अनुदान को बढ़ा कर रू० 20,000/- प्रति बंधुआ मजदूर कर दिया गया है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 आधार पर दिया जाता है। इसमें से 1,000 रूपए निर्वाह भत्ते के रूप में बंधुआ मजदूर को मुक्त कराए जाने पर तुरन्त अदा किए जाने की जरूरत है।

पुनर्वास में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका

- सतर्कता समिति द्वारा जांच की गई रिपोर्ट के आधार पर पहचान किए गए बंधुआ मजदूरों की मुक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को सुनिश्चित करनी पड़ती है।
- बंधुआ मजदूर-भूमि आधारित, गैर-भूमि आधारित, कौशल/शिल्प-आधारित व्यवसायों के पुनर्वास के लिए वे उपयुक्त योजनाओं की पहचान करें।

राज्य सरकारों के लिए जाँच-सूची

- ❖ क्या इस अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अपराधों के विचारण हेतु राज्य सरकार ने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्राधिकार देते हुए संगत अधिसूचना जारी की है?
- ❖ क्या बंधुआ मजदूरों की पहचान हेतु समय-समय पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।
- ❖ क्या जिला और उप प्रभागीय स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है और क्या वे उनकी नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं? किस प्रकार का पर्यवेक्षण इनकी गतिविधियों पर किया जा रहा है?
- ❖ क्या पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को निधि का आबंटन समय पर हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1985 की रिट याचिका सिविल सं० 3922) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.1.2001 में निर्देश दिया कि बंधुआ मजदूरी के मामले से निपटाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (रा.मा.अ.आ.) को शामिल किया जाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में बंधुआ मजदूरी की स्थिति का अनुवीक्षण कर रहा है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार हरियाणा राज्य और विभिन्न प्राधिकरणों को निर्देश दिए। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु श्रम मंत्रालय ने एक कार्यदल का गठन किया जिसमें विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा सरकार के अधिकारी शामिल हैं। कार्यदल से यह अपेक्षा की जाती है कि कामगारों की कार्य और निर्वाह स्थितियों पर तथ्य जानने हेतु पत्थर खुदाई और पिसाई स्थानों का समय-समय पर दौरा और निरीक्षण करें। यह कार्यदल उस को सुपुर्द किए गए कार्य को नियमित रूप से कर रहा है और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें सांविधिनिक उपबंधों पर संबद्ध प्राधिकारियों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर जानकारी दी जाती है।